FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

त ...... उपखण्ड अधिकारी ...... मुकाम ...... नीमराना (अलवर)

...... कृष्णकुमार ...... बनाम ...... भगवान सिंह

दमा ...... प्रार्थना पत्र 212 ...... नं० ...... 149 ...... सन् 5-8-2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
5.8-19 आज पत्रावली मुल्तवी पेश हुई वकील सायल पेश हुये दर्ख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील बहस सुनी गयी दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस बनता है तथा सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति आदि प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा 281, 325, 359, 720, 721, 1196, 1197, 1241, 1259, 1028, 653, 396, 397, 1259, 852, 1195, 1190 वाके ग्राम आनन्दपुर तह. नीमराना जिला अलवर (राज.) के मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। आप अपना आक्षेप/जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण रिपोर्ट जवाब पेश करें। नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दि० 12-9-19 को पेश हो।	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5.8.25	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के ग्रह वाद नोटिस के तामील हो चुका है। प्रार्थी वकील ने प्रा० पत्र भी नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र नोट प्रेस में तामील किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नक्ल के बाद [illegible] वाद प्राप्त संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नौतनवा ([illegible])